राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

कार्यालय लेखाधिकारी (रोकड.)

शेड नं. 7, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर

<u>निविदा– सूचना</u>

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, के जयपुर स्थित कार्यालयों के लिए कोरियर सेवाओं की आपूर्ति करने हेतु सम्बन्धित एंव अनुभवी फर्मों अथवा व्यक्तियों से नीचे लिखे अनुसार मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	निविदा सं.	आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं का विवरण	सेवा अवधि	अनुमानित लागत (रु. में)	धरोहर राशि (रु. में)	निविदा शुल्क (रु. में)	निविदा खुलने का दिनांक
1.	AOC -29	राजस्थान एवं भारत के विभिन्न शहरों हेतु कोरियर सेवायें	दो वर्ष	नौ लाख 900000	बीस हजार 20000	पाँच सौ नब्बे मात्र 590/=	13.03.2019

उपरोक्त निविदा का पूर्ण विवरण एवं शर्तें अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में निविदा शुल्क नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि वरिष्ठ लेखाधिकारी (रोकड.), रा.रा.वि.उ.नि.,लिमिटेड, जयपुर के नाम देय हो, जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है।

निविदा उपरोक्त दिनांक 18.02.19 से 11.03.19, मध्यान्ह 2.00 बजे तक प्राप्त की जाकर दिनांक 13.03.19 को मध्यान्ह पश्चात् 3.00(तीन बजे) उपस्थित निविदा–दाताओं के समक्ष अधोहस्ताक्षर कर्ता के कक्ष में खोली जायेगी।

पत्र व्यवहार का पताः– कार्यालय लेखाधिकारी (रोकड.),
आर. वी. यू. एन. एल., शेड नं. 7, विद्युत भवन,
जनपथ, जयपुर।

सहायक लेखाधिकारी (रोकड.)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

कार्यालय लेखाधिकारी (रोकड.)

शेड नं. 7, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर

निविदा संख्या –AOC-29

(कोरियर सेवायें प्राप्त करने हेतु)

निविदा प्रपत्र का मूल्य रूपये 590/=

1.	निविदाप्रपत्र बेचने का समय एवं दिनांक	18.02.19से 11.03.19 मध्यान्ह 1 बजे तक
2.	निविदायें प्राप्त करने का समय एवं दिनांक	11.03.19 को मध्यान्ह 2.00 बजे तक
3.	निविदायें खुलने का समय एवं दिनांक	13.03.19को मध्यान्ह पश्चात् 3.00 बजे

निविदा खरीदने वाली फर्म का नाम एवं पता :

नाम ....

पता ....

....

....

निविदा प्रपत्र हेतु राशि जरिये रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा लेखाधिकारी (रोकड.) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर को जमा करवा दिये है।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

कार्यालय लेखाधिकारी (रोकड.)

शेड नं. 7, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर

निविदा संख्या –AOC - 29

निविदा प्रपत्र का मुल्य रूपये 590/–

निविदा खुलने की दिनांक 13.03.19

निविदा खरीदने वाली फर्म का नाम एवं पता

नाम ....

पता ....

....

....

निविदा प्रपत्र हेतु राशि जरिये रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा लेखाधिकारी (रोकड.) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर को जमा करवा दिये है।

निविदा प्रपत्र

निविदादाता का नाम व पता. ....

....

टेलिफोन नम्बर ....

फैक्स नम्बर ....

मोबाइल नम्बर ....

सेवा में,

लेखाधिकारी (रोकड.)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड,

जयपुर।

विषयः—निविदा संख्या AOC – 29के अन्तर्गत डाक/पार्सल कोरियर द्वारा वितरण के संबंध में।

प्रसंगः— आपका विज्ञापन दिनांक .... को दैनिक समाचार पत्र .... में प्रकाशित।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं/हम उपरोक्त के नाम से पत्र/पार्सल कोरियर सेवा के व्यवसाय में कार्यरत हूँ/हैं और आपके द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अन्तर्गत मैं/हम निम्न दरों पर कोरियर सेवायें प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं :—

क्र. सं.	वजन	दरें जी. एस. टी. सहित			
		जयपुर (स्थानीय)	राज्य की सीमाओं में समस्त राजस्थान	राज्य के बाहर	
				दिल्ली	शेष भारतवर्ष में
1.	100 ग्राम तक				
2.	101 ग्राम से 250 ग्राम तक				
3.	251 ग्राम से 500 ग्राम तक				
4.	501 ग्राम से 1000 ग्राम तक				
5.	1 किलोग्राम से अधिक (प्रति किलोग्राम की दर से)				

उपरोक्त प्रपत्र के साथ सलंग्न Annexure “A” में वर्णित निविदा की शर्ते स्वीकार करता हूँ।

प्रोपराईटर/अधिकृत हसताक्षरकर्ता
(मय फर्म की मोहर के)

Annexure “A”

निविदा की शर्तें एवम् निर्देश

1. फैक्स अथवा तार द्वारा भेजी गयी निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
2. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार्य होगी।
3. अनुभव तथा वर्तमान में कहीं किये जा रहे कार्यों तथा मूलभूत सुविधाओं का सम्पूर्ण विवरण निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना होगा।
4. देय निविदा शुल्क पर न तो कोई ब्याज देय होगा और न ही इसका पुनर्भरण अथवा समायोजन होगा।
5. निविदा प्रपत्र की कीमत रूपये 590/— की रसीद भी साथ में संलग्न करनी होगी।
6. बयाना राशि रूपये 20000/— नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि वरिष्ठ लेखाधिकारी (रोकड.), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर के नाम देय होगा जिसे कार्यालय में जमा कराकर रसीद संलग्न करनी होगी। असफल निविदादाताओं की बयाना राशि निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् लोटा दी जावेगी एवं इस पर कोई ब्याज देय नही होगा।
7. समय समाप्ति के पश्चात् कोई निविदा स्वीकार नही की जावेगी न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा।
8. मुख्य अभियन्ता (ईंधन), रा.रा.वि.उ.नि.लि., जयपुर को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार या रदद् करने का अधिकार होगा।
9. निविदा की दरे, निविदा खोलने की दिनांक से चार माह की अवधि तक मान्य होगी।
10. डाक प्रत्येक कार्य दिवस को सम्बन्धित कार्यालय से दिन में दो बार स्वंय को अथवा अधिकृ त प्रतिनिधी द्वारा उचित प्राप्ति रसीद देकर कार्यालय से प्राप्त करनी होगी।
11. जिस कार्यालय अथवा व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित डाक है, उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाकर उचित रसीद (मय प्राप्तकर्ता का स्पष्ट नाम एवं फर्म/कार्यालय की मोहर सहित) लेकर सम्बन्धित कार्यालय को पहुँचानी होगी।
12. यदि सस्ंथा/व्यक्ति द्वारा डाक नही ली जाती है तो उचित कारण दर्शाते हुए अगले कार्य दिवस को सम्बन्धित कार्यालय को लौटानी होगी।
13. कार्यालय से सम्बन्धित गोपनीय दस्तावेजों की गोपनीयता को बनाये रखना होगा।
14. डाक जिस स्थिति में प्राप्त की जावे उसी स्थिति में संस्था/व्यक्ति को सुरक्षित पहुँचानी होगी।
15. डाक का वितरण निगम के निर्देशानुसार करना होगा।
16. अति आवश्यक पत्र/पार्सल का वितरण बतलाई गयी निर्धारित अवधि में सुनिश्चित करना होगा जिसका कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा।
17. डाक वितरण हेतु निगम से किसी प्रकार का साधन, सामान या सेवा उपलब्ध नही करवाई जायेगी।
18. डाक का नुकसान हो जाने, खो जाने अथवा समय पर वितरण नही होने पर यदि निगम को कोई आर्थिक हानि होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी कोरियर कम्पनी की होगी।

19. यदि आवश्यक हुआ तो कार्यालय समय से पहले एवं पश्चात् व अवकाश के दिन भी सेवायें देनी होगी।
20. यह अनुबन्ध दो वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे सन्तोषप्रद कार्य अवधि पूर्ण होने की स्थिति में अगले एक वर्ष के लिए आगे बढाया जा सकेगा।
21. राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से किसी प्रकार का पंजीयन है तो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. ऐसे स्थान जहां पर आप डाक/पार्सल भिजवाने में असमर्थ हैं उनकी सूची निविदा के साथ ही प्रस्तुत करनी होगी।
23. यदि डाक/पार्सल वितरण के कार्य वास्ते किसी सरकारी विभाग अथवा कानूनी रूप से कोई औपचारिकताऐं पूर्ण करनी है तो इसका दायित्व निविदादाता को होगा।
24. डाक जिसकी प्राप्ति रसीद सम्बन्धित कार्यालय को नहींपहुँचायी जायेगी, का भुगतान नही किया जावेगा।
25. निविदादाता किसी अन्य व्यक्ति या फर्म को सबलेट अथवा अन्य व्यक्ति/संस्था से अनुबंध नही करेगा।
26. कार्यरत कर्मचारियों के नाम, पता व अन्य जानकारी सम्बन्धित कार्यालय को देनी होगी। किसी कर्मचारी की नियुक्ति अथवा निकाले जाने की सूचना समय पर सम्बन्धित कार्यालय को देनी होगी।
27. कार्य से सम्बन्धित समस्त सरकारी दायित्व (आर्थिक, प्रशासनिक व कानूनी) निविदादाता का होगा।
28. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
29. सफल निविदादाता को धरोहर की राशि रूपये 20000/– सहायक लेखाधिकारी(रोकड.), राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जयपुर को जमा कराने होंगे। निविदादाता के निवेदन पर बयाना राशि भी इस में समायोजित की जा सकेगी जो कि अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर लिखित प्रार्थनापत्र मय मूल रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर लौटा दी जावेगी। यदि अनुबंध अवधि में शर्तों का उल्लंघन पाया गया या निगम को किसी भी प्रकार की हानि हुई तो उक्त जमा राशि मे से काट लिया जावेगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
30. मुख्य अभियन्ता (ईंधन), रा. रा. वि.उ.नि.लि., जयपुर व कोरियर्स दोनो ही पक्ष बिना कारण बताये लिखित में तीन माह का नोटिस देने के पश्चात् अनुबंध समाप्त कर सकते है। परन्तु कार्य में शिकायत होने पर मुख्य अभियन्ता (ईंधन), रा. रा. वि.उ.नि.लि., जयपुर द्वारा तुरन्त प्रभाव से अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
31. मुख्य अभियन्ता (ईंधन), रा. रा. वि.उ.नि.लि., जयपुर को यह अधिकार होगा कि वह इन शर्तों में निविदादाता की सहमति से परिवर्तन कर सकता है।
32. उक्त निविदा विभाग की वैबसाइट SPPP.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन भी भरी/डाली जा सकती है।

भवदीय,

दिनांक :–

(निविदादाता का नाम, पता तथा हस्ताक्षर मय मोहर के),

RVUN/PR_3185/2019